

भेदभाव मुक्त संबंधी वक्तव्य

SNAP और FDPIR राज्य या स्थानीय एजेंसियां और उनके उप-प्राप्तकर्ताओं को निम्नलिखित भेदभाव मुक्त वक्तव्य अवश्य लगाना होगा:

संघीय नागरिक अधिकार कानून और अमेरिकी कृषि मंत्रालय (USDA) के नागरिक अधिकार संबंधी विनियमों एवं नीतियों के अनुसार, USDA, इसकी एजेंसियों, कार्यालयों व कर्मचारियों और USDA कार्यक्रम में भाग लेने वाले या इन्हें नियंत्रित करने वाले संस्थानों को नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, धार्मिक संप्रदाय, असक्षमता, आयु, राजनीतिक विचारों के आधार पर भेदभाव करने तथा USDA द्वारा संचालित या वित्तपोषित किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में नागरिक अधिकार संबंधी पूर्व गतिविधि के लिए बदले या प्रतिशोध की कार्रवाई करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

असक्षम व्यक्ति जिन्हें कार्यक्रम जानकारी के लिए संवाद के वैकल्पिक माध्यमों (जैसे ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो टेप, अमेरिकन साइन लैंग्वेज आदि) की आवश्यकता है, उन्हें एजेंसी (राज्य अथवा स्थानीय) से संपर्क करना चाहिए जहां उन्होंने लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। सुनने में असक्षम, सुनने में कठिनाई महसूस करने वाले अथवा बोलने संबंधी असक्षमता वाले व्यक्ति फेडरल रिले सर्विस के माध्यम से (800) 877-8339 नंबर पर USDA से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम की जानकारी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है।

भेदभाव की कार्यक्रम संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए, USDA का कार्यक्रम भेदभाव शिकायत फॉर्म, (AD-3027) भरें जो यहां ऑनलाइन: [How to File a Complaint](#) और किसी भी USDA कार्यालय में मिल सकता है या USDA को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखें और फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी उस पत्र में लिख दें। शिकायत फॉर्म की प्रति मंगाने के लिए, (866) 632-9992 नंबर पर फोन करें। USDA के लिए अपने भरे हुए फॉर्म या पत्र को इन माध्यमों से प्रस्तुत करें:

- (1) डाक: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
- (2) फ़ैक्स: (202) 690-7442; or
- (3) ईमेल: program.intake@usda.gov

यह संस्थान समान अवसर प्रदान करने वाला संस्थान है।

USDA भेदभाव मुक्त संबंधी वक्तव्य (जारी है)

अन्य सभी FNS पोषण सहायता कार्यक्रमों के लिए, राज्य या स्थानीय एजेंसियां और उनके उप-प्राप्तकर्ताओं को निम्नलिखित भेदभाव मुक्त वक्तव्य अवश्य लगाना चाहिए:

संघीय नागरिक अधिकार कानून और अमेरिकी कृषि मंत्रालय (USDA) के नागरिक अधिकार संबंधी विनियमों व नीतियों के अनुसार, USDA, इसकी एजेंसियों, कार्यालयों व कर्मचारियों और USDA कार्यक्रम में भाग लेने वाले या इन्हें नियंत्रित करने वाले संस्थानों को नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, असक्षमता, आयु के आधार पर भेदभाव करने तथा USDA द्वारा संचालित या वित्तपोषित किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में नागरिक अधिकार संबंधी पूर्व गतिविधि के लिए बदले या प्रतिशोध की कार्रवाई करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

असक्षम व्यक्ति जिन्हें कार्यक्रम जानकारी के लिए संवाद के वैकल्पिक माध्यमों (जैसे ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो टेप, अमेरिकन साइन लैंग्वेज आदि) की आवश्यकता है, उन्हें एजेंसी (राज्य अथवा स्थानीय) से संपर्क करना चाहिए जहां उन्होंने लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। सुनने में असक्षम, सुनने में कठिनाई महसूस करने वाले अथवा बोलने संबंधी असक्षमता वाले व्यक्ति फेडरल रिले सर्विस के माध्यम से (800) 877-8339 नंबर पर USDA से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम की जानकारी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है।

भेदभाव की कार्यक्रम संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए, [USDA कार्यक्रम भेदभाव शिकायत फॉर्म](#), (AD-3027) भरें जो यहां ऑनलाइन: [How to File a Complaint](#) और किसी भी USDA कार्यालय में मिल सकता है या USDA को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखें और फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी उस पत्र में लिख दें। शिकायत फॉर्म की प्रति मंगाने के लिए, (866) 632-9992 नंबर पर फोन करें। USDA के लिए अपने भरे हुए फॉर्म या पत्र को इन माध्यमों से प्रस्तुत करें:

- (1) डाक: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
- (2) फ़ैक्स: (202) 690-7442; or
- (3) ईमेल: program.intake@usda.gov.

यह संस्थान समान अवसर प्रदान करने वाला संस्थान है।

USDA भेदभाव मुक्त संबंधी वक्तव्य (जारी है)

संयुक्त आवेदन फॉर्म (HHS)

इस संस्थान को नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रियता, असक्षमता, आयु, लिंग और कुछ मामलों में धार्मिक या राजनीतिक विचारों के आधार पर भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

अमेरिकी कृषि मंत्रालय द्वारा नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रियता, लिंग, धार्मिक संप्रदाय, असक्षमता, आयु, राजनीतिक विचारों के आधार पर भेदभाव करने तथा USDA द्वारा संचालित या वित्तपोषित किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में नागरिक अधिकार संबंधी पूर्व गतिविधि के लिए बदले या प्रतिशोध की कार्रवाई को भी प्रतिबंधित किया जाता है।

असक्षम व्यक्ति जिन्हें कार्यक्रम जानकारी के लिए संवाद के वैकल्पिक माध्यमों (जैसे ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो टेप, अमेरिकन साइन लैंग्वेज आदि) की आवश्यकता है, उन्हें एजेंसी (राज्य अथवा स्थानीय) से संपर्क करना चाहिए जहां उन्होंने लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। सुनने में असक्षम, सुनने में कठिनाई महसूस करने वाले अथवा बोलने संबंधी असक्षमता वाले व्यक्ति फेडरल रिसे र्विस के माध्यम से (800) 877-8339 नंबर पर USDA से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम की जानकारी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है।

भेदभाव की कार्यक्रम संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए, [USDA कार्यक्रम भेदभाव शिकायत फॉर्म](#), (AD-3027) भरें जो यहां ऑनलाइन: [How to File a Complaint](#) और किसी भी USDA कार्यालय में मिल सकता है या USDA को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखें और फॉर्म में मांगी गई समस्त सूचना उस पत्र में लिख दें। शिकायत फॉर्म की प्रति मंगाने के लिए, (866) 632-9992 नंबर पर फोन करें। USDA के लिए अपने भरे हुए फॉर्म या पत्र को इन माध्यमों से प्रस्तुत करें:

- (1) डाक: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
- (2) फ़ैक्स: (202) 690-7442; or
- (3) ईमेल: program.intake@usda.gov.

संपूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) संबंधी मामलों से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के लिए, व्यक्तियों को USDA SNAP हॉटलाइन नंबर (800) 221-5689 पर फोन करना चाहिए जो स्पेनिश भाषा में भी है अथवा [राज्य सूचना/हॉटलाइन नंबर](#) (राज्य के हॉटलाइन नंबरों की सूची के लिए लिंक पर क्लिक करें) पर फोन करें; जो यहां देखी जा सकती है: [SNAP Hotline](#).



अमेरिकी स्वास्थ्य व समाज कल्याण मंत्रालय (HHS) के माध्यम से संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के संबंध में भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए, इस पते पर लिखें: HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 अथवा फोन करें (202) 619-0403 (वॉयस) या (800) 537-7697 (TTY).

यह संस्थान समान अवसर प्रदान करने वाला संस्थान है।